

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग-8

संख्या /2018/9(120)/XXVII(8)/2017/CT-1

देहरादून:: दिनांक:: 04 जनवरी, 2018

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 10 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और परिषद की सिफारिशों के आधार पर उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-8 की अधिसूचना सं0 983/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 दिनांक 23 नवम्बर, 2017 के द्वारा यथा संशोधित अधिसूचना सं0 513/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 दिनांक 29 जून, 2017 में निम्नलिखित अग्रतर संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं यथा :-

उक्त अधिसूचना में, प्रारम्भिक पैराग्राफ में -

(क) खंड (एक) में "एक प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "आधा प्रतिशत" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(ख) खंड (तीन) में "आवर्त का आधा प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति के आवर्त का आधा प्रतिशत" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 जनवरी, 2018 से प्रवृत्त होगी ।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

सं0 29 /2018/9(120)/XXVII(8)/2017/CT-1 तददिनांक ।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें ।

2-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100-100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें ।


3-विधायी एवं संसदीय कार्य अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन ।

4-अपर सचिव, वित्त-8, उत्तराखण्ड शासन ।

5-एन0आई0सी0

6-गार्ड फाईल हेतु ।


.....अनुभाग
आवश्यक कार्यवाही करें।


अपर आयुक्त-व्यवसाय कर
उत्तराखण्ड, देहरादून

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 29 /2018/9(120)/XXVII(8)/2017/CT-1 dated 04 January, 2018 for general information.

Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No. 29 /2018/9(120)/ XXVII(8)/2017/CT-1
Dehradun :: Dated:: 04 January, 2018

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;


NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), on the recommendations of the Council, the Governor is pleased to allow to make the following further amendments in the notification of the Government of Uttarakhand Finance Section-8 No.513/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 dated 29th June, 2017 as amended by notification No. 983/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 dated 23rd November, 2017 namely:-

In the said notification, in the opening paragraph, -

(a) in clause (i), for the words “one percent”, the words “half percent” shall be substituted;

(b) in clause (iii), for the words “half percent of the turnover”, the words “half percent of the turnover of taxable supplies of goods” shall be substituted.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of January, 2018.


(Radha Raturi)
Principal Secretary